

धारा 11 : कर से छूट देने की शक्ति

- (1) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर, अधिसूचना द्वारा, साधारणतया, पूर्ण रूप से या ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाएं, उस तारीख से, जो ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की जाए, किसी विनिर्दिष्ट विवरण के माल या सेवाओं या दोनों को उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से छूट दे सकेगी।
- (2) जहां सरकार का यह समाधान हो जाता है कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, वहां वह, परिषद् की सिफारिशों पर प्रत्येक मामले में विशेष आदेश द्वारा, ऐसे आदेश में कथित आपवादिक प्रकृति की परिस्थितियों के अधीन ऐसे किसी माल या सेवाओं या दोनों को, जिन पर कर उद्ग्रहणीय है, कर के संदाय से छूट दे सकेगी।
- (3) सरकार, यदि वह उपधारा (1) के अधीन जारी किसी अधिसूचना की या उपधारा (2) के अधीन जारी आदेश के विस्तार या लागू किए जाने को स्पष्ट करने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझती है तो उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना या उपधारा (2) के अधीन आदेश जारी होने के एक वर्ष के भीतर किसी समय अधिसूचना द्वारा, यथास्थिति, ऐसी अधिसूचना या ऐसे आदेश में स्पष्टीकरण अंतःस्थापित कर सकेगी और ऐसे प्रत्येक स्पष्टीकरण का वही प्रभाव होगा मानो वह, सदैव, यथास्थिति, ऐसी पहली अधिसूचना या आदेश का भाग था।

स्पष्टीकरण— इस धारा के प्रयोजनों के लिए, जहां किसी माल या सेवा या दोनों के संबंध में, उस पर उद्ग्रहणीय संपूर्ण कर से या उसके किसी भाग से पूर्ण रूप से छूट दी गई है, वहां ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति करने वाला रजिस्ट्रीकृत व्यक्ति, ऐसे माल या सेवाओं या दोनों की पूर्ति पर प्रभावी दर से अधिक कर का संग्रहण नहीं करेगा।